क्रम–संख्या–82

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012

बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–15/66/81–का-1-2012

लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–16

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ;

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना	8–नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियॉ, उक्त श्रेणी के लिए	पात्रता सूची तैयार करना	8–नियुक्ति प्राधिकारी, ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:	
	प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियॉ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियॉ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी :–	प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियॉ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियॉ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी:–
(1) द्वितीय वर्ष के लिए	(क) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;	(1) द्वितीय वर्ष के लिए (क) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;
(2)तृतीय वर्ष के लिए	(ख) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :	(2)तृतीय वर्ष के लिए (ख) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :
	अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी :	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी :
	प्रतिबन्ध यह और भी है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी	

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

नियम 21 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना	21–(1) नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी से अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियॉं, उक्त श्रेणी के प्रत्येक के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–	पात्रता सूची तैयार करना 21–(1) नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–
1 से 5 रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 :	1 से 5 रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5:
5 से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10: परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10:

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
(3) भाग–3 में विहित शेष प्रकिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होंगी, सिवाय इसके कि भाग–3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता कम में तैयार की जायेगी।	(3) भाग–3 में विहित शेष प्रकिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि भाग–3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता कम में तैयार की जायेगी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/LXVI/81-Ka-1-2012, dated May 8, 2012:

No. 15/LXVI/81-Ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8, 2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970:

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) (Eighth Amendment) Rules, 2012.

2. (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 8

2. In the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list	8. The appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists, of the senior most eligible candidates from each of the category	Preparation of eligibility list	8. The appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, as far as possible, three times the number of vacancies

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :		subject to the minimum of eight :
	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows -		Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility list will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :-
For the second year	(a) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year,	For the second year	(a) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;
For the third year	(b) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year and so on:	For the third year	(b) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on:
	Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names :		Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names .
	Provided also that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates		

Substitution of rule 21

3. In the said rules, for existing rule 21 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list	21.(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the categories namely General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of the vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :-	Preparation of eligibility list	21.(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :-
For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5-	For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5;
For over 5 vacancies	1.5 times the number of vacancies subject to a minimum of 10:	For over 5 vacancies	1.5 times the number of vacancies subject to a minimum of 10.
	Provided that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virture of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates.		
	(2) The Provisions containing in proviso to rule 8 shall mutatis mutandis apply in preparing an eligibility list under this rule.		(2) The provisions contained in proviso to rule 8 shall, mutatis mutandis, apply in preparing an eligibility list under this rule.
	(3) The rest of procedure prescribed in Part III shall mutatis mutandis apply to promotion made under this part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.		(3) The rest of procedure prescribed in Part III shall, mutatis mutandis, apply to promotion made under this part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.